"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 अगस्त 2017 — भाद्रपद 1, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–40/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका सार्वजनिक स्वागत पर किये जाने वाला अधिकतम खर्च नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

नियम (1) में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"अनुसूची

नगर पालिकाओं के वर्ग	स्वागत	समारोह	मनोरंजन	प्रदर्शनी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कक	50000	30000	50000	100000
क	30000	15000	30000	60000
ख	20000	10000	20000	40000
ग	15000	8000	15000	20000

टीप – कॉलम (5) में विहित की गई रकम, प्रदर्शनी से प्राप्त की गई वास्तविक आय, यदि कोई हो, की रकम के अतिरिक्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 5–40/2016/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–40/2016/18, दिनांक 23–08–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 22nd August 2017

NOTIFICATION

No. F 5-40/2016/18. — In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 124 of the Chhattisgarh Municipal Council Act,1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Nagar Palika Sarvajanik Swagat Par Kiya Jane wala Adhiktam Kharch Niyam, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

In rule (1), for the Schedule, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE

Class of Municipalities	Reception	Ceremony	Entertainment	Exhibition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AA	50000	30000	50000	100000
A	30000	15000	30000	60000
B	20000	10000	20000	40000
C	15000	8000	15000	20000

Note- The amount prescribed in this column (5) is in addition to the amount of the actual income, if any, derived from an exhibition.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017